न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 118/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

मुरली बसेर आत्मज भूरालाल बसेर, जाति कलाल, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– मती उल्लाह आत्मज असद उल्ल, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2– समी उल्लाह आत्मज असद उल्ल, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3– साजिद उल्लाह आत्मज असद उल्ल, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.05.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या –05/प्रा.प./2016 निर्णय दिनांक 16.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लाडखेडा, तहसील पचपहाड की आराजी खसरा नम्बर 727 में प्रार्थी द्वारा उसके खाते की आराजी खाता संख्या 166 किता 7 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा पर आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2016 को राजस्व लोक अदालत, शिविर आवर में पेश किया जिस पर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से दिनांक 27.03.2017 को अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब पेश करने का समय चाहा । इसके बाद पत्रावली राजस्व लोक अदालत में राजीनामा अनुसार निस्तारण हेतु दिनांक 10.05.2017 को रखी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील पचपहाड को मौका रिपोर्ट पेश करने व सुनवायी हेतु दिनांक 16.05.2017 को कैम्प करावन में रखी गई । उक्त दिनांक को मौका रिपोर्ट एवं अपीलांट, रेस्पोडेंट के बयान लिये जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार निर्णय पारित न कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 686, 687, 689, 690, 728 व 723 से खसरा नम्बर 727 पर होकर रास्ता है जो रिपोर्ट तहसीलदार में दिखाया गया है पहुंचने का सीधा रास्ता है इसके बावजूद मौका रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ग्राम आवर के खसरा नम्बर 200/34.05 चारागाह से लगा हुआ है । ग्राम आवर के खसरा नम्बर 199 व 200 किस्म चारागाह से एक रास्ता सिंचाई विभाग के आफिस के पास होकर आ रहा है जिसमें कुछ रास्ता सही है परन्तु खसरा नम्बर 200 के लगते रास्ते में बड़े–बड़े पत्थर, झाड़ियां होने से पगडण्डी के रूप में ही काम किया जा सकता है कृषि उपकरण व बैलगाडी रास्ता सुधार

करने पर ही निकलना संभव है इसके बावजूद अपीलांट को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिरह का मौका नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.05.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.05.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

राजस्व लोक अदालत में वैकल्पिक मार्ग होने से निर्णय अपीलांट के पक्ष में नहीं किया गया । इस में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा